उत्तर प्रदेश शासन
कार्मिक अनुभाग-4
संख्या- 5/2022/16/आयोग/1/4/2011-का-4-2022
लखनऊ :: दिनांक : 31 मार्च, 2022

कार्यालय-ज्ञाप

लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित प्रतियोगितात्मक परीक्षाओं तथा अन्य चयनों के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति प्रदान करने संबंधी कार्मिक अनुभाग-4 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-28/5/80-का-4-1999, दिनांक 15.11.1999 के प्रस्तर-2 (3) में निम्नवत व्यवस्था है-

"संबंधित विभागों द्वारा संस्तुतियां/आवंटन प्राप्त होने के 03 माह के अंदर नियुक्ति आदेश जारी करना सुनिश्चित किया जाए तथा अभ्यर्थी को प्रथमतः कार्यभार ग्रहण करने हेतु 01 माह का समय प्रदान किया जाए, जिसे अपरिहार्य परिस्थितियों में 01 माह तक और बढ़ाने पर विचार किया जा सकता है।"

2. उक्त व्यवस्था के क्रियान्वयन में आने वाली व्यावहारिक कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुये शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि-

(1) संबंधित विभागों द्वारा संस्तुतियां/आवंटन प्राप्त होने के 03 माह के अंदर नियुक्ति आदेश जारी करना सुनिश्चित किया जाए।

(2) प्रथम नियुक्ति आदेश निर्गत करते समय चयनित अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण हेतु नियुक्ति आदेश प्राप्ति से 01 से 02 माह का समय दिया जाये।

(3) यदि उपरोक्तानुसार दिये गये समय के अधीन चयनित अभ्यर्थी द्वारा समय अवधि बढ़ाने का औचित्य सहित प्रार्थना पत्र दिया जाता है, तो प्रथम नियुक्ति आदेश प्राप्त करने से अधिकतम 03 माह तक की अवधि तक प्रशासकीय विभाग द्वारा उदारता पूर्वक विस्तारित किया जा सकेगा।

(4) यदि चयनित अभ्यर्थी द्वारा प्रथम नियुक्ति आदेश प्राप्त करने से 03 माह से अधिक की अवधि हेतु समय की मांग की जाती है, तो उस पर तभी विचार किया जाये जब ऐसा करने हेतु अपरिहार्य कारण हों। इस हेतु प्रशासकीय विभाग कार्मिक विभाग से परामर्श लेने के पश्चात समय विस्तार दे सकेगा, परन्तु ऐसा विस्तार प्रथम नियुक्ति आदेश की प्राप्ति के दिनांक से 06 माह तक की अवधि से अधिक नहीं होगा। प्रथम नियुक्ति आदेश की प्राप्ति के 06 माह के पश्चात कार्यभार ग्रहण न करने पर चयनित अभ्यर्थी का नियुक्ति आदेश स्वतः ही निरस्त मान लिया जायेगा।

3. इस संबंध मे कार्यालय ज्ञाप दिनांक 15.11.1999 उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय।

डा0 देवेश चतुर्वेदी
अपर मुख्य सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिक्ली जारी किया गया है, अतः इस प्रकार हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है

संख्या-5/2022/16(1)/आयोग/1/4/2011-का-4-2022 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।

2- सचिव, लोक सेवा आयोग, उ0 प्र0 प्रयागराज।

3- समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।

4- समस्त मडण्लायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

5- सचिवालय के समस्त अनुभाग।

6- सचिव, विधान परिषद/विधान सभा, उत्तर प्रदेश।

7- गार्ड पत्रावली।

आज्ञा से,

राजेश प्रताप सिंह
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिक्ली जारी किया गया है, अतः इस प्रकार हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।